an>

title: Regarding reported arrest of a Polic Sub-Inspector in Maharashtra for alleged rape of a girl.

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : अध्यक्ष महोदया, मुझे दुख होता है कि संसद के एक ही सत्र में दुसरी बार मेरे राज्य में एक सोलह साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ। तीन हफ्ते पहले एक पन्द्रह साल की लड़की से बलात्कार हुआ और उसका खून भी हो गया। कल उस्मानाबाद जिले में एक सोलह साल की लड़की को पिस्तौल दिखाकर एक पुलिस ऑफिसर ने बलात्कार किया। आज आप किसी भी टीवी चैनल पर देखें, आज समाज में बलात्कार बढ़ता जा रहा है चाहे कोई भी राज्य हो, आज बलात्कार की पीड़ा और महिलाओं की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। निर्भया के बाद पॉस्को जैसा कानून भी बना लेकिन आप किसी भी टीवी चैनल देखिए उसके फैमिली का इंटरव्यू चलता है, गांव के सरपंच और लीडर्स वहां पहुंच जाते हैं।

इस पर एक्शन लिया जाए, अगर सुरक्षा देने वाला ही जुल्म करने लगे तो लड़कियां न्याय मांगने कहां जाएंगी। पॉस्को लॉ के सेक्शन नं. 23 और 24 में लिखा है Identity must be concealed. लेकिन आज हम देखते हैं कि किसी भी चैनल या पेपर को देखें, आइडेन्टिटी सिक्रेट नहीं रह पाती। इन लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए कुछ नहीं होता, हम लोग जीरो ऑवर में इसे उठाते रहते हैं। निर्भया के बाद हम अच्छा कानून लेकर आए लेकिन आज भी छोटी-छोटी लड़कियों से बलात्कार हो रहा है और इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, इनको शिक्षा भी नहीं मिल रही है। जो ऐसी हरकत करता है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष :

श्रीमती रमा देवी,

श्रीमती विजया चक्रवर्ती,

श्री एम.वी. राजेश,

श्रीमती पी.के.श्रीमथि टीचर,

डॉ. ए.सम्पत,

श्री शंकर प्रसाद दत्ता,

श्री धनंजय महाडीक,

श्रीमती कोथापल्ली गीता,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री अरविन्द सावंत,

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे,

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे,

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत,

श्रीमती रक्षाताई खाडसे,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और

श्रीमती संतोÂा अहलावत को श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा उठाए गए विÂाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।